



कार्यालय— अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश), जैसलमेर
(PHONE - 02992-294676, E-mail : dlsa19jaiselmer@gmail.com)

क्रमांक :: जिविसेप्रा / संस्था / 2026 / 89

दिनांक :- 14/05/26

—विज्ञापित:—

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ-16(123)/रालसा/जेएस/LADC/2026/7221-7257 दिनांक 24.03.2026 के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर में लीगल एड डिफेन्स काउंसिल कार्यालय हेतु पूर्णतया अस्थायी रूप से कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.17(10)डीओपी/ए-2/94 दिनांक 28.03.2023 के अनुसार सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिये जाने के लिये जारी मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित मानव संसाधन की भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

क्र.स.	पद का नाम	पदों की संख्या	देय मानदेय/पारिश्रमिक
1	ऑफिस असिस्टेंट	03	14000/-
2	रिसेप्सनिस्ट कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	14000/-
3	ऑफिस पिओन	03	11000/-

आवेदन की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन पत्र पूर्ण विवरण सहित इस कार्यालय को दिनांक 25.05.2026 को कार्यालय समय सायं 5.00 बजे तक जरिये ई-मेल/डाक/व्यक्तिशः प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

जैसलमेर

क्रमांक:-जिविसेप्रा / संस्था / 2026 / 184-189-190

दिनांक:- 14/05/26

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
02. जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जैसलमेर को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने व नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
03. श्रीमान् जिला कलेक्टर, जैसलमेर को समस्त अधीनस्थ विभागों/PSUs में सूचित करने व नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने बाबत्।
04. श्रीमान् अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति, पोरण को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने बाबत्।
05. जन संपर्क अधिकारी, जैसलमेर को समाचार-पत्रों में प्रकाशन हेतु।
06. जिला नियोजन अधिकारी, जैसलमेर।
07. नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर, कार्यालय हाजा।

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

जैसलमेर

कार्यालय:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर (राज.)

(राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के संबंध में संविदा पुनर्नियुक्त सेवाएं के लिये)

आवेदन पत्र

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. जन्म तिथि:-
4. पता मय मोबाईल नम्बर :-
5. आयु :- वर्ष माह दिन
6. अर्हताएं :-
7. मूल विभाग का नाम :-
8. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद :-
9. अनुभव :-
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन
(रनिंग पे बैंड वेतन, ग्रेड पे)
एलपीसी संलग्न करें।
11. मूल पेंशन राशि
(पीपीओ की प्रति संलग्न करें।)
12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय)
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार)
14. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा है.....

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :-

स्थान :-

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी जो सेवानिवृत्ति से पूर्व पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती रुपये मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैंड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील